

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
राजस्व अपील सं0 13/2018



रामजी लाल पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी सींगपुरा उप तहसील सैंथल तहसील
व जिला दौसा ...अपी0

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ...रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2017

व न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल
उपस्थित : 1.श्री सीताराम मीना अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 20.02.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल ने दिनांक 26.10.2017 को ग्राम सींगपुरा उप तहसील सैंथल तहसील दौसा के आ0ख0 न0 91, 266 रकबा 18.56 है0 में से 0.55 है0 किस्म सिवायचक/चारागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा सिवायचक व चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। महज पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही अपीलांट के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाकर 90 दिवस का सिविल कारावास पारित किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया है, जो नियमों के प्रतिकूल होने से विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट

धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा मौके पर नाजायज रूप से पुख्ता मकान व बाडा बना रखा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " बाजरा, जोत व पुख्ता मकान एवं बाडा" अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कौफियत में कब्जा पुराना होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। बल्कि अपीलांट पर्याप्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पटवारी हल्का द्वारा अपने बयानों में अपीलांट को पश्चातवर्ती व आदतन अतिक्रमी बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट पर्याप्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में सिद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 20 फरवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा